THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI) :(a) and (b) The paper industry has represented from time to time requesting the Government for fiscal concessions in order to encourage investment and enhance production. A view in respect of the request depends on the decisions in the Union Budget 1994-95.

(c) No, Sir.

(d) Do not arise.

CLOSURE OF NATIONAL BICYCLE CORPORATION OF INDIA LIMITED

3180. SHRI GURUDAS DAS GUPTA : SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the PRIME MINISTER be please to state :

(a) whether it is a fact that Government have approved the closure of the National Bicycle Corporation of India Limited;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the workers of the Corporation have opposed the closure; and

(d) if so, on what grounds and what is Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI) :(a) to (d) National Bicycle Corporation of India Limited (NBCIL), being a loss making company, is under reference to BIFR. After hearing the concerned parties and taking into consideration various facts, the Bench of BIFR concluded on 5-10-93 that it was just and equitable to wind up the company but reserved its orders. The case has again come up before BIFR on 20-12-93. The Government is yet to receive the written orders of the BIFR. However, the Government have decided not to contest the decision of the BIFR for winding up NBCIL because it has been found in the hearings of BIFR and the report prepared by IDBI, the operating agency, that NBCIL was not a viable industrial company and no offer from anybody was received for taking over the company and running it.

वाहनों के मूल्यों में वृद्धि

3181. श्री शारदा मुखर्जी :
श्री सोम पाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उदारीकरण नीति के तहत उत्पाद-शुल्क में छूट के बावजूद आटोमोबाइल विनिर्माणकारी कंपनियों द्वारा अपने वाहनों के मूल्यों में वृद्धि की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) वर्ष 1993-94 के बजट में उत्पाद शुल्क में जो कमी की गई थी उसके अनुरूप मोटरगाड़ी निर्माताओं ने अपने वाहनों की कीमतें घटा दी थीं। बाद में सवारी कारों और वाणिज्यिक वाहनों की कीमतों में 5-6 प्रतिशत वृद्धि हो गयी थी ।

(ख) और (ग) वाहन निर्माताओं का कहना है कि निविष्टियों जैसे कच्चे माल, बिजली और ईंधन, परिवहन, मजदूरी आदि की लागत बढ़ जाने के कारण उनके वाहनों की कीमतों में वृद्धि हुई थी । मोटरगाड़ियों की कीमतों पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है । इसलिए वाहन निर्माताओं

को अपने वाहनों की कीमतें बढ़ाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी नहीं पड़ती । आशा है कि वाहनों के बहुत से मॉडल उपलब्ध होने तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा होने से वाहनों की कीमतें नियंत्रित होंगी ।

एच.ई.सी. द्वारा अधिग्रहित भूमि पर बन्दोबस्ती कार्य

3182. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच.ई.सी. को अधिग्रहीत भूमि का निजी संस्थाओं से बन्दोबस्ती करवाने का अधिकार है; यदि नहीं, तो किस आधार पर बन्दोबस्त कार्य किया गया है;

(ख) विस्थापित परिवारों के कुल कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी है और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत आदिवासियों के उत्थान हेतु एच.ई.सी. द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) एच.ई.सी. ने 17 निजी क्षेत्रिक संस्थाओं को 30 वर्ष के लिए पट्टेपापर भूमि दी थी । एच.ई.सी. ने यह व्यवस्था राज्य सरकार की जानकारी के तहत दी है । कल्याणकारी/सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कुछ भूमि का किसी निश्चित अवधि के लिए अस्थाई पट्टे पर बन्दोबस्त करना एच.ई.सी. के अधिकार क्षेत्र में है ।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार है :--

कुल संख्या	4271
अनुसूचित जाति	137
अनुसूचित जनजाति	2389 (20 महिलाएं)

(ग) आदिवासियों के उत्थान के लिए एच.ई.सी. द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में, स्वच्छ पेयजल के लिए नलकूप खुदवाना, प्रशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत युवाओं को एच.ई.सी. प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण देना, ग्रामीणों की चिकित्सा सेवा के लिए चलता-फिरता औषधालय उपलब्ध कराना तथा लड़कियों को सामान्य नर्सिंग व मिडवाइफरी आदि का प्रशिक्षण देना शामिल है ।

LAND ACQUIRED FOR SETTING UP HEC IN BIHAR

3183. **SHRI BRAHMADEO ANAND PASWAN** : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what is the total area of land in which H.E.C. (Ranchi, Bihar) has been set up;

(b) what are the names of Institutions which have since been involved in Bandobast (Settlement) of acquired land by this Institution;

(c) what is the total area of land belonging to Scheduled Tribes and Harijans which has since been acquired for setting up the H.E.C.; and

(d) what is the number of persons who have already been paid compensation of their acquired land together with those who are yet to be paid compensation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) 6383.34 acres of land is in possession of HEC.

(b) The information is furnished in the enclosed statement. (*See* below)

(c) While the actual details are available with the State Government of Bihar, as per HEC's record, approximate details are given as under :—

SC — Land — 130 acres

ST — Land — 5350 acres

(d) As per HEC's records, no claims are pending for payment of compensation.